मूल प्रति/द्वितीय प्रति

निविदा फार्म कमांक ....

अहस्तांतरणीय

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय, बाल आश्रम परिसर, कचहरी चौक, रायपुर

दूरभाष नं. 0771– 4066211, 4270826, फैक्स नं. 4066214

अखाद्य तेल विक्रय हेतु

निविदा दस्तावेज

(वर्ष 2009–10)

निविदा दिनांक 12.06.2009

* * * * *

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
बाल आश्रम परिसर, कचहरी चौक, मुख्यालय रायपुर

अखाद्य तेल विक्रय हेतु निविदा प्रपत्र

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि., छत्तीसगढ़ द्वारा केन्द्र सरकार के उपक्रम मेसर्स पी.ई.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आयातित सोयाबीन तेल प्राप्त किया गया था। यह तेल माह जुलाई 08 से अक्टूबर 08 के मध्य प्राप्त हुआ है तथा उक्त तेल की वैधता अवधि पैकिंग माह से 09 माह तक की है। निर्धारित वैधता अवधि समाप्त होने के कारण जिलों में संग्रहित तेल जो पालीपैक में एवं कार्टन में पैक्ड, को निविदा के माध्यम से **जहां है जैसा है** के आधार पर विक्रय किया जाना है। **यह तेल मानव हेतु उपयोगी नहीं है।** साथ ही तेल की कुछ मात्रा खुले रूप में ड्रम/टीन आदि में संग्रहित है, इसे भी निविदाकार द्वारा उठाया जाना अनिवार्य होगा। जिलेवार उपलब्ध अखाद्य तेल तथा संबंधित जिले की निविदा के साथ अनिवार्यतः जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी का विवरण परिशिष्ट– 2 में उल्लेखित है।

जिलों में उपलब्ध मात्रा के विक्रय हेतु जिलेवार क्रय दरें इच्छुक निविदाकर्ताओं से मुहरबंद निविदा के रूप में आमंत्रित की जाती है –

जिले का नाम जिसके लिये निविदा प्रस्तुत – की जा रही है (कृपया असंबंधित को काट देंवे)	**जिला रायपुर/दुर्ग महासमुन्द/ राजनांदगांव/जगदलपुर**
1. निविदाकार का नाम एवं पता	**मेसर्स** ....
2. दूरभाष एवं मोबाईल नं.	....
3. आयकर पैन नं. एवं जारी कार्यालय का नाम	....
4. टीन नं./वाणिज्यिक कर पंजीयन नं.	....
5. निविदा फार्म का मूल्य	**रू. 1000/– (वाणिज्य कर अतिरिक्त)**
6. निविदा फार्म के मूल्य की मनी रसीद क्रमांक एवं दिनांक	....
7. निविदा फार्म के विक्रय हेतु अंतिम दिनांक एवं समय	**11.06.2009 समय 5.30 बजे सायं**
8. भरे हुए निविदा जमा करने की तारीख एवं समय	**12.06.2009 समय 3.00 बजे अपरान्ह**
9. निविदा खोले जाने की तारीख एवं समय	**12.06.2009 समय 3.30 बजे अपरान्ह**
10. निविदा प्राप्त करने, जमा करने एवं खोले जाने हेतु निर्धारित स्थान	**निगम मुख्यालय, रायपुर**

टिप्पणी –

1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के पश्चात् अगले कार्यकारी दिवस को खोली जायेगी लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है एवं दो प्रतियों में जारी किया जायेगा। निविदा की द्वितीय प्रति निविदाकार द्वारा रखी जायेगी।
3. निविदा दस्तावेज मूल प्रति/छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट– www.cg.gov.in से डाउनलोड प्रति में ही प्रस्तुत की जावेगी एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सीलयुक्त हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
4. वेबसाईट से डाउनलोड निविदा दस्तावेज को जमा करने के पूर्व रूपये 1040.00 नगद या डी.डी. के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

निविदा फार्म जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा

<u>निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न परिशिष्टों का विवरण–</u>

निविदा दस्तावेज के साथ निम्नानुसार परिशिष्ट संलग्न हैं जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर कर अपनी सील अंकित की जावेगी एवं समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज का भाग माने जावेंगे।

1. **परिशिष्ट क्रमांक 01** – इस परिशिष्ट पर अखाद्य तेल के विक्रय निविदा संबंधी प्रक्रिया एवं निविदा के नियम एवं शर्तें अंकित है।

2. **परिशिष्ट क्रमांक 02** – इस परिशिष्ट पर विक्रय किये जाने वाले अखाद्य तेल की जिलेवार उपलब्ध अनुमानित मात्रा एवं जिलेवार जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी का उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट में उल्लेखित जिलों के प्रदाय केन्द्रों/गोदामों से ही अखाद्य तेल का उठाव किया जाना है। वास्तविक रूप से उपलब्ध मात्रा कम या अधिक हो सकती है।

3. **परिशिष्ट क्रमांक 03** – इस परिशिष्ट पर निविदाकार का पूर्ण परिचय एवं विवरण अंकित किया जाना है।

4. **परिशिष्ट क्रमांक 04** – इस परिशिष्ट में जिलेवार निविदा दरें भरी जानी है। निविदाकार चाहे तो एक से अधिक जिलों हेतु अपनी दरें प्रस्तुत कर सकते हैं लेकिन प्रत्येक जिले हेतु उन्हें पृथक पृथक अर्नेस्ट मनी जमा करनी होगी।

5. **परिशिष्ट क्रमांक 05** – इस परिशिष्ट पर सोयाबीन अखाद्य तेल विक्रय संबंधी अनुबंध/सौदा पत्रक का प्रारूप है जो कि सफल निविदाकारों द्वारा रूपये 100/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर निष्पादित किया जावेगा।

समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त **परिशिष्टों** का पूर्ण अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

निविदा फार्म जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा

परिशिष्ट –1

निविदा दस्तावेज

सोयाबीन अखाद्य तेल के विक्रय की निविदा संबंधी प्रकिया, नियम एवं शर्तें

1. मुहरबंद निविदा –

इच्छुक क्रेता निर्धारित मूल निविदा दस्तावेज/वेबसाईट से डाउनलोड प्रति के साथ सीलबंद लिफाफे में निविदा प्रस्तुत करें।

निविदा के साथ चाही गई वांछित अर्नेस्ट राशि एवं अन्य दस्तावेज यथा फर्म का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन कार्ड एवं मूल पॉवर आफ अटार्नी (आवश्यकतानुसार) मुहरबंद लिफाफे में रखकर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है एवं लिफाफे पर स्पष्ट रूप से ''**अखाद्य तेल क्रय के लिए निविदा**'' लिखना अनिवार्य है। इस लिफाफे पर यह अनिवार्य रूप से यह भी अंकित किया जाए कि निविदा किस जिले हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

2. अर्नेस्ट मनी (सुरक्षा राशि) –

रायपुर व जगदलपुर जिले हेतु प्रस्तुत आफर दर के साथ प्रत्येक जिले हेतु रूपये एक लाख एवं दुर्ग, महासमुन्द व राजनांदगांव हेतु प्रस्तुत ऑफर दर के साथ प्रत्येक जिले हेतु रूपये दस हजार का डिमांड ड्राफ्ट जो कि **छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर** के नाम देय होगा, अनिवार्यतः अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना होगा। आवश्यकतानुसार वांछित अर्नेस्ट मनी के अभाव में प्राप्त ऑफर पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं निविदा निरस्त मानी जावेगी।

3. निविदा में हस्ताक्षर –

निविदा प्रपत्र में निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरांत उसका पूरा नाम, पूरा पता एवं किस हैसियत से, जैसा कि स्वामी, भागीदार, कंपनी सचिव, प्रबंध संचालक, मुख्तयार या संचालक के रूप में हस्ताक्षर किया, उसका उल्लेख करना अनिवार्य है। निविदाकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा अगर निविदा प्रस्तुत की जाती हैं, तो इस संबंध में पावर ऑफ एटार्नी दस्तावेज की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर भागीदारी फर्म/कंपनी/समिति, द्वारा पावर ऑफ एटार्नी जारी किया जाता है, तो पावर ऑफ एटार्नी दस्तावेज पर सभी भागीदारों के नाम सहित फर्म/कंपनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षर मय सील होना अनिवार्य है। निविदा दस्तावेज मूल प्रति में ही प्रस्तुत किया जावेगा एवं **निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।**

4. निविदा जमा करने की विधि –

निविदाकार निर्धारित निविदा दस्तावेज में संलग्न परिशिष्ट–2 जिसमें जिले में उपलब्ध होने वाली कुल अनुमानित मात्रा, जहां से अखाद्य तेल उठाना होगा का नाम उल्लेखित किया गया है, के आधार पर प्रति लीटर क्रय हेतु अपनी दरें प्रस्तुत करेंगे। जिले में उपलब्ध अखाद्य तेल की आंशिक मात्रा हेतु निविदा नहीं दी जा सकेगी। दरें प्रस्तुत करते समय यह विशेष ध्यान रखा जावे कि तेल की डिलीवरी संबंधित जिले के गोदाम से ही ली जानी है एवं डिलीवरी लेने हेतु समस्त प्रकार के व्यय यथा, लोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन, हम्माली, आदि के साथ साथ देय समस्त कर (वेट/केन्द्रीय विक्रय कर) का भुगतान क्रेता द्वारा किया जाना है। निविदाकार क्रय मूल्य के अतिरिक्त नियमानुसार देय वेट/केन्द्रीय विक्रय कर तथा अन्य करो, उपकरो का भुगतान भी क्रय मूल्य भुगतान के साथ आपूर्ति निगम को करेगा।

फैक्स, कोरियर अथवा किसी प्रकार के डाक के माध्यम से अथवा खुले (बिना सीलबंद लिफाफा) में प्राप्त निविदाएं विचार योग्य नहीं होगी। निविदा साफ एवं स्पष्ट रूप में भरी जावे। निविदा दस्तावेज प्रपत्र में किसी तरह की ओव्हर राईटिंग मान्य नहीं किया जावेगा। कांट–छांट होने की स्थिति में उस पर निविदाकार का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

निविदाकार को निविदा के साथ प्राप्त अखाद्य तेल को राज्य से बाहर या राज्य के अन्य स्थानों में ले जाने के लिये आवश्यक परमिट इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करना होगा तथा इसमें निगम किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा, और न ही किसी प्रकार के कर, शुल्क आदि की राशि भुगतान या अन्य भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट –1

5. अखाद्य तेल की राशि जमा करने तथा डिलेवरी लेने संबंधी –

सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति की सूचना जारी होने के उपरांत 07 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध का निष्पादन करना होगा एवं **अनुबंध निष्पादन के समय संबंधित क्रेता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी रू. 100.00 के स्टाम्प पैपर पर देना होगा कि निगम से इस अनुबंध के अंतर्गत क्रय किये गये तेल का उपयोग मानव उपयोग हेतु नहीं किया जाएगा तथा इस तेल के उपयोग की समस्त जवाबदारी क्रेता की होगी।**

अनुबंध के समय उठाये जाने वाले तेल की उल्लेखित अनुमानित मात्रा का करों सहित सम्पूर्ण क्रय मूल्य जमा करना होगा। तेल की सम्पूर्ण मात्रा को अनुबंध निष्पादित किये जाने के उपरांत 15 दिवस की निर्धारित अवधि में निगम के गोदामों से डिलेवरी प्राप्त करना होगा। **निर्धारित समयावधि में डिलीवरी नहीं लिये जाने की स्थिति में पर्याप्त कारणों के आधार पर निगम द्वारा डिलीवरी अवधि बढ़ाई जा सकेगी तथा इस बढ़ाई गई अवधि हेतु देय भण्डारण शुल्क का भुगतान संबंधित क्रेता को करना होगा।** क्रेता द्वारा अंतिम डिलवरी लिये जाने की पूर्व यदि वास्तविक उपलब्ध तेल की मात्रा कम या अधिक होती है तो इसका भुगतान/समायोजन किये जाने के उपरांत ही अंतिम डिलीवरी दी जाएगी।

निर्धारित अवधि में डिलेव्हरी नहीं लिये जाने की दशा में जिले में शेष अखाद्य तेल एवं जमा समस्त राशियां निगम हित में राजसात कर ली जाएगी तथा ऐसे राजसात किये गये तेल के पुनः विक्रय से होने वाली आय पर निविदाकार का कोई अधिकार नहीं होगा।

निविदा में दर्शाये गये सोयाबीन अखाद्य तेल की मात्रा अनुमानित है, जो कम या अधिक हो सकती है, जिसकी डिलेव्हरी लेना निविदाकार को अनिवार्य होगा साथ ही दर्शित मात्रा से अखाद्य तेल कम या अधिक उपलब्ध होने पर निगम द्वारा क्रेता को किसी प्रकार से कोई हर्जाना भुगतान नहीं किया जायेगा और न ही इसके लिए निगम के प्रति दावा प्रस्तुत कर सकेगा।

6. निविदा स्वीकार करने संबंधी –

किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने, पूर्ण/आंशिक रूप से मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार **प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।**

7. सोयाबीन अखाद्य तेल हेतु विक्रय निविदा हेतु परिभाषाएं :–

अ. **सोयाबीन अखाद्य तेल** से तात्पर्य जिलों के प्रदाय केन्द्रों में संग्रहित सोयाबीन अखाद्य तेल से है जिसकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी हो।

ब. **निविदा दस्तावेज** से तात्पर्य सोयाबीन अखाद्य तेल के विक्रय हेतु जारी निविदा सूचना के संदर्भ में निविदाकार द्वारा कार्यालय से विधिवत क्रय किया गया दस्तावेज है।

स. **संविदा** से तात्पर्य है कि निविदा बुलाना, निविदा प्रक्रिया तथा निविदा में उल्लेखित निर्देश, निविदा संबंधी दस्तावेज, अनुबंध एवं शेडयूल के अंतर्गत स्वीकार करना एवं निविदा से संबंधित सामान्य एवं सभी शर्ते सम्मिलित है।

द. **निगम** शब्द का तात्पर्य होगा, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।

ई. **प्रबंध संचालक** का तात्पर्य यह होगा कि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, जैसा यथास्थिति हो, जिसके प्रशासकीय नियंत्रण में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, के व्यवसायिक निविदा संबंधी कार्य सम्पादित होना है।

फ. **क्रेता** शब्द से तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, समिति या संस्था जिसने इस निविदा में भाग लिया है या निविदा प्राप्त किया है। इस तात्पर्य के अंतर्गत व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्था कि ओर से विधिवत अधिकृत व्यक्ति भी मान्य होंगे।

य. **दर** शब्द से तात्पर्य यह होगा कि दर जो निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा जिसे निगम द्वारा अंतरिम या अंतिम रूप से मान्य किया गया है।

र. **अनुबंध** शब्द का अर्थ यह होगा निविदाकृत सोयाबीन अखाद्य तेल के क्रय हेतु क्रेता एवं यथा स्थिति निगम के बीच संविदा करार।

8. निविदा की शर्ते एवं नियम –

1. विक्रय किया जाने वाला सोयाबीन अखाद्य तेल **''जहां है जैसा है''** के आधार पर विक्रय किया जाना है।
2. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा दरें निविदा दिनांक से **45** दिवस तक वैध रहेगी।
3. निविदाकर्ता का यह दायित्व होगा कि वे निविदा भरने से पहले निविदाकर्ता सोयाबीन अखाद्य तेल के पाउच/ कार्टन का अवलोकन/परीक्षण कर लेवें। साथ ही जिले के विभिन्न प्रदाय केन्द्रों/ गोदामों में संग्रहित तेल की मात्रा की जानकारी प्राप्त कर लेवें। निविदा भरने या खोलने उपरांत इसमें किसी प्रकार का स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन/विवाद मान्य नहीं होगा।
4. निविदा दस्तावेज में उल्लेखित अखाद्य तेल की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है।
5. यदि क्रय हेतु प्रस्तावित दरों में अंकों तथा शब्दों में अंतर पाया जाता है तो दोनों में से अधिक दर को निविदाकार का प्रस्ताव माना जाएगा।
6. प्राप्त निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार निगम के प्रबंध संचालक, के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा, तथा इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा। निविदाकार/क्रेता की यह जिम्मेदारी होगी कि निविदा में प्राप्त सामाग्री को रखने और आगे भी क्रय/विक्रय करने/परिवहन करने या अन्य किसी भी प्रक्रिया में लाने के लिए अपने पास समस्त प्रचलित लायसेंस, परमिट, अन्य वैधानिक दस्तावेज की व्यवस्था स्वयं करें। इसमें निगम द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जावेगा। दस्तावेज के अभाव में या गलत जानकारी प्रस्तुत करने से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी क्रेता की रहेगी।
7. प्रत्येक जिले हेतु प्रस्तुत निविदा के साथ निर्धारित अर्नेस्ट मनी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से देय शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. अखाद्य तेल के क्रय हेतु प्राप्त उच्चतम दरदाता के द्वारा अनुबंध निष्पादन होने तक द्वितीय/ तृतीय उच्चतम दरदाता की अर्नेस्ट मनी की राशि निगम के पास जमा रहेगी।
9 अगर निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण राशि जमा कर अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है तो अर्नेस्ट मनी निगम के पक्ष में राजसात कर ली जाएगी तथा विक्रय निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे निविदाकार जिनकी निविदायें स्वीकृत नहीं हुई उनकी अर्नेस्ट मनी चेक के माध्यम से वापस की जावेगी। अर्नेस्ट मनी की वापसी नगद में नहीं होगी और अर्नेस्ट मनी पर जमा अवधि के दौरान कोई ब्याज देय नहीं होगा।
10. निविदाकार की दर स्वीकृत होने पर निविदाकार को अखाद्य तेल के मूल्य एवं करों की सम्पूर्ण राशि निगम के पास 07 दिवस के अंदर जमा करते हुए निगम के साथ निर्धारित अनुबंध प्रारूप में 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा। साथ ही अखाद्य तेल का उपयोग मानव उपयोग हेतु नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र भी अनुबंध के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। निष्पादित निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र, अनुबंध की शर्ते, निविदा की शर्तो का एक अंग होगा। क्रेता के द्वारा निविदा शर्तों का किसी भी समय उल्लंघन करने पर या स्टाक की संपूर्ण डिलेव्हरी न लेने पर गोदाम में शेष अखाद्य तेल निगम हित में राजसात कर लिया जाएगा तथा इसके पुनः विक्रय से होने वाली आय पर निविदाकार का कोई अधिकार नहीं होगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा।

11. निविदा के साथ जमा अर्नेस्ट मनी की वापसी अनुबंध अनुसार सम्पूर्ण मात्रा की डिलवरी लिये जाने तथा किसी प्रकार की विवाद नहीं होने की स्थिति में की जाएगी। जमा अर्नेस्ट मनी एवं मूल्य राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

12. निविदा भरते समय निविदाकार अपने तरफ से किसी भी प्रकार की शर्तें/टीप प्रस्तुत निविदा में उल्लेखित नहीं करेगा। यदि निविदाकार के द्वारा ऐसा किया जाता है तो प्रस्तुत निविदा अवैध घोषित की जावेगी एवं निविदा अस्वीकृत की जावेगी।

13. निविदा में दर संतोषप्रद न हो तो अधिकतम मूल्य दाता से सर्वप्रथम निगोसियेशन किया जा सकेगा। अधिकतम मूल्य दाता अगर संतोषप्रद दर प्रस्तुत नहीं करता है तो निविदा में भाग लिये समस्त निविदाकारों से निगोसियेशन किया जा सकेगा।

9. भुगतान एवं डिलेव्हरी प्रकिया –

01. क्रेता को स्टॉक **जहॉ है जैसा है** के स्थिति के आधार पर उठाना होगा।

02. क्रेता को सोयाबीन अखाद्य तेल की डिलीवरी प्रदाय केन्द्रों से ही लिया जाना होगा।

03. क्रेता को स्टाक के डिलेव्हरी आर्डर में दिये गये समय के अंदर उठाव करना होगा। स्टाक की डिलेव्हरी एक सिरे से दी जावेगी। यह डिलीवरी कार्टन/पाउच में होगी। क्रेता को स्वयं के समस्त खर्चो से स्टाक को उठाया जाना होगा। इसमें निगम कोई खर्च वहन नहीं करेगा। अनुबंध में दर्शित मात्रा की शत–प्रतिशत डिलेव्हरी लेने तक हम्माल, ट्रक/परिवहन के साधन आदि की संपूर्ण व्यवस्था करने की जवाबदारी क्रेता की होगी।

04. स्टाक की डिलेव्हरी लेने हेतु क्रेता अगर स्वयं नहीं आता है तो उसकी अधिकृत प्रतिनिधि को स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित कराकर अधिकृत करना होगा तथा ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उठाये गये स्टाक को क्रेता के द्वारा उठाया जाना माना जाएगा।

05. क्रेता द्वारा निर्धारित समयावधि में सोयाबीन अखाद्य तेल न उठाने पर निगम को यह अधिकार होगा कि अवशेष तेल एवं जमा समस्त राशियां निगम हित में राजसात कर ली जाएगी एवं यह भी अधिकार होगा कि क्रेता द्वारा नहीं उठाये गये सोयाबीन अखाद्य तेल को पुनः अन्य किसी क्रेता को विक्रय करें।

06. सोयाबीन अखाद्य तेल की डिलेव्हरी केवल कार्यशील दिवसों में एवं कार्यालयीन समय में दी जायेगी, इस हेतु किसी अतिरिक्त समय का क्लेम मान्य नहीं होगा।

07. डिलीवरी प्राप्त करने के उपरांत सोयाबीन अखाद्य तेल की मात्रा, पैकेजिंग, इत्यादि के संबंध में निगम जिम्मेदार नही होगा तथा समस्त जवाबदारी क्रेता की होगी।

08. पैक्ड कार्टन/पाउच पर जो मात्रा अंकित है, उसे ही डिलीवरी मात्रा माना जाएगा, इस संबंध में क्रेता को कोई दावा मान्य नहीं होगा। ड्रम/टीन में संग्रहित तेल को वास्तविक रूप से माप कर प्रदाय किया जाएगा तथा यह मात्रा डिलीवरी मात्रा मानी जाएगी।

10. निविदा दस्तावेज/विक्रय अनुबंध एवं स्कंध उठाने तक किसी प्रकार के उत्पन्न हुए विवाद का न्यायाधिकरण क्षेत्र रायपुर न्यायालय के अंतर्गत होगा।

टीप– **इस निविदा सूचना में कोई भी संशोधन दिनांक 09.06.2009 सायं 5.00 बजे के पूर्व तक जारी किया जा सकता है जो निगम के नोटिस बोर्ड पर तथा उल्लेखित वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगा।**

परिशिष्ट– 2

जिलों में उपलब्ध अखाद्य तेल की अनुमानित मात्रा तथा निर्धारित अर्नेस्ट मनी का विवरण

जिला	(मात्रा लीटर में)	निर्धारित अर्नेस्ट मनी
रायपुर	20462	1,00,000.00
दुर्ग	2000	10,000.00
महासमुन्द	2552	10,000.00
राजनांदगांव	1788	10,000.00
जगदलपुर	51237	1,00,000.00
योग	**78039**	

नोटः

1. उपरोक्त अखाद्य तेल एक लीटर के पालीपैक में पैक्ड है एवं इसमें कुछ मात्रा खुले रूप में ड्रम/ टीन में भी संग्रहित है।
2. दुर्ग जिले में उपलब्ध मात्रा खुले रूप में ड्रम में संग्रहित है।
3. जिलेवार दर्शाई गई तेल की अनुमानित मात्रा का उठाव अनुबंधित केता जिले के प्रदाय केन्द्रों/गोदामों से किया जाना है जिसकी जानकारी संबंधित जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

परिशिष्ट– 3

निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

फोटो चस्पा करें

प्रेषक,

.... (क्रेता का नाम एवं पूर्ण पता)

....

....

प्रति,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,
मुख्यालय – रायपुर ।

महोदय,

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2008–09 में क्रय की गई सोयाबीन खाद्य तेल के 09 माह की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत कालातीत होने के कारण अखाद्य तेल के विक्रय हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर मै/हम मुख्यालय/जिला कार्यालय में रसीद नं0 .... दिनांक .... को निर्धारित राशि रूपये जमा कर निर्धारित निविदा फार्म क्रय किया है। मैं/हम निविदा के आमंत्रण में दिये गये निर्देशों/निविदा/संविदा शर्तों, नियमों तथा इसके परिशिष्टों में दिये गये विवरण को भलिभांति पढ़ लिया है, उनको समझ लिया है तथा मैं/हम उनके पालन के लिए सहमत हूँ /है तथा सम्पूर्ण तथ्यों एवं शर्तो से सहमत होने के पश्चात् ही यह निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ/ रहे हैं।

2. हमारा / मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

(1)	निविदाकार का नाम व पता	:	————————————————
			————————————————
			————————————————
			————————————————
(2)	पिता का नाम	:	————————————————
(3)	दूरभाष क्रमांक : कार्यालय	:	....
	निवास		....
	मोबाईल		....
(4)	निविदाकार की फर्म का स्वरूप (फर्म/कंपनी/स्वामित्व/हिंदू अविभाजित परिवार)	:	————————————————
(5)	मुखिया (कर्ता) का नाम व पता	:	————————————————
(6)	यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदार के नाम/पते (भागीदार विलेख की प्रमाणित प्रति संलग्न करें, यदि कंपनी है तो मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति लगायें।)	:	————————————————
			————————————————
			————————————————
(7)	फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रं. व दिनांक (सत्यापित प्रति संलग्न करें)	:	————————————————
(8)	आयकर पैन नं. की सत्य प्रति संलग्न करें	:	....

परिशिष्ट– 3

(9)	बैंकर का नाम शाखा सहित (खाता क्रमांक लिखें)	————————————————
(10)	निर्धारित जमा की गई अर्नेस्ट राशि का विवरण–	रूपये कुल .... बैंक ड्राफ्ट क्रं. .... बैंक का नाम .... दिनांक ....
(11)	इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची	———————————————— ———————————————— ———————————————— ————————————————

3. हमारी/मेरी निविदा फार्म में उल्लेखित की गई दरें निविदा खुलने के दिनांक से 45 (पैतालीस) दिवस तक वैध रहेगी, जिसे मानने के लिए हम/मैं बाध्य रहेंगे/रहूंगा/रहूंगी।

4. यदि निगम द्वारा हमें /मुझे कार्य सौंपा जाता है तो हम/मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार अखाद्य तेल की मूल्य राशि एवं आवश्यक प्रपत्र/ शपथ पत्र जमा करके अनुबंध करने के लिए सहमत हूं।

5. हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/ करता हूं कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

6. निविदा में मैं/हम उपस्थित नहीं होने के कारण हमारी ओर से अधिकृत प्रतिनिधि श्री .... अथवा श्री .... को पावर ऑफ अटार्नी सहित निविदा भरने हेतु अधिकृत करते हैं। इस हेतु पावर ऑफ अटार्नी/अधिकार पत्र संलग्न है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर ————————————————

नाम ————————————————

फर्म का नाम ————————————————

पूरा पता ————————————————

————————————————

हैसियत ————————————————

मुहर ————————————————

नोटः– इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरें एवं संपूर्ण कॉलम में प्रविष्टि अतिआवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर ....

निविदाकार का नाम ....

——00——

परिशिष्ट – 4

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
मुख्यालय, बाल आश्रम परिसर, कचहरी चौक, रायपुर

सोयाबीन अखाद्य तेल (प्रदाय केन्द्र से उठाकर) क्रय की दर

निविदा में जिले में संग्रहित अखाद्य तेल क्रय करने की दरें (समस्त करों एवं उपकरों को छोड़कर)

जिला	दर (रूपये प्रति लीटर में)		जमा अर्नेस्ट मनी का विवरण (डी.डी. क. व राशि)
	अंकों में	शब्दों में	
1. रायपुर			
2. दुर्ग			
3. महासमुन्द			
4. राजनांदगांव			
5. जगदलपुर			

उपरोक्तानुसार दरें मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। प्रस्तुत दर पर मैं सोयाबीन अखाद्य तेल की सम्पूर्ण मात्रा क्रय करने हेतु तैयार हूँ।

दिनांक ....

हस्ताक्षर ——————————————
नाम ——————————————
फर्म का नाम ——————————————
पूरा पता ——————————————
——————————————
हैसियत ——————————————
मुहर ——————————————

टीप – 1. जिस जिले हेतु दरें प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं, उसे क्रास अंकित कर देंवे।

2. यह विशेष ध्यान रखें कि एक से अधिक जिले हेतु दरें प्रस्तुत करने पर प्रत्येक संबंधित जिले हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट निविदा के साथ अनिवार्यतः संलग्न करें अन्यथा समस्त जिलों हेतु प्रस्तुत निविदा दर अमान्य करते हुए निविदा निरस्त मानी जाएगी।

परिशिष्ट – 5

(सौ रूपये के नॉन– ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जायेगा)

सौदा अनुबंध पत्रक

स्थान .... दिनांक ....

आज दिनांक .... को छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर विक्रेता और मेसर्स .... (क्रेता) के बीच सोयाबीन अखाद्य तेल बेचने का अनुबंध हुआ जिसका विवरण और शर्तें निम्नानुसार है –

1	क्रेता का नाम और पूरा पता	———————————————— ———————————————— ————————————————
2	दूरभाष नंबर	....
3	फर्म की स्थापना, वाणिज्यिक कर पंजीयन क्रं. व दिनांक, आयकर पैन नं.	———————————————— ————————————————
4	क्रय किया गया स्कंध	**सोयाबीन अखाद्य तेल**
5	जिले का नाम	**रायपुर / दुर्ग / महासमुन्द / राजनांदगांव / जगदलपुर**
6	क्रय किये गये अखाद्य तेल की मात्रा लीटर में (जिले मे सोयाबीन अखाद्य तेल की मात्रा कम या अधिक हो सकती है, क्रेता को उपलब्ध संपूर्ण मात्रा की डिलेव्हरी लेना अनिवार्य है)।	....
7	(अ) विक्रय दरें (प्रति लीटर)	....
	(ब) देय योग्य टैक्स की राशि (प्रति लीटर)	....
	(स) कुल दर (प्रति लीटर)	....
8	कुल अनुमानित मूल्य (6 x 7(स))	
9	क्रेता के द्वारा जमा राशि का विवरण	....
10	अर्नेस्ट मनी (निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न)	....
11	अनुबंध के समय जमा राशि	....
12	**योग (अर्नेस्ट +मूल्य राशि)**	....

13 अखाद्य तेल **''जहां है जैसा है''** के आधार पर विक्रय किया गया है।

14 **भुगतान गिनती आदि की शर्तें** :–

अ) अनुबंध की तिथि से 15 दिवस के भीतर समस्त मात्रा की डिलेव्हरी लिया जाना अनिवार्य है।

परिशिष्ट – 5

ब) निर्धारित अवधि में डिलेव्हरी नहीं लिये जाने की दशा में जिले के गोदाम में शेष अखाद्य तेल निगम हित में राजसात कर लिया जाएगा तथा इसके पुनः विक्रय से होने वाली आय पर निविदाकार का कोई अधिकार नहीं होगा।

स) क्रेता को पूरी मात्रा के लिये धन राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा निगम के मुख्यालय में जमा कराने पर अनुबंध उपरांत डिलेव्हरी दी जावेगी।

द) स्कंध की डिलेव्हरी निविदा परिशिष्ट 2 में दर्शाये गये जिले के संबंधित प्रदाय केन्द्रों से ही शत–प्रतिशत डिलेव्हरी दी जावेगी। सोयाबीन अखाद्य तेल के पाउच/ कार्टन की शत–प्रतिशत गिनती, रिपैकिंग, हम्माली, लोडिंग एवं परिवहन का व्यय क्रेता को स्वयं वहन करना होगा, अर्थात् सोयाबीन अखाद्य तेल के विक्रय के दौरान कार्पोरेशन द्वारा कोई भी व्यय वहन नहीं किया जायेगा।

ई) अर्नेस्ट मनी एवं मूल्य राशि पर कोई ब्याज निगम के द्वारा देय नहीं होगा।

फ) यदि अनुबंधकर्ता और निगम के बीच इस सौदा पत्रक की किसी शर्त के बारे में अथवा इससे संबंधित किसी अन्य विषय पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आर्बीट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, प्रबंध संचालक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर, आर्बीट्रेटर होंगे, तथा उनके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

च) यदि अनुबंधकर्ता अनुबंध पत्रक में दी गई शर्तों के विरूद्ध कार्य करता है या समयावधि में डिलेव्हरी प्राप्त नहीं करता है तो अनुबंध टूट जाने के परिणाम स्वरूप निगम को क्रेता से पूरे हर्जाना एवं खर्चा वसूल करने का अधिकार होगा।

छ) अनुबंधित मात्रा कम या अधिक हो सकती है। क्रेता को पूरे सोयाबीन अखाद्य तेल की डिलेव्हरी लेना अनिवार्य होगा। डिलीवरी लिये जाने के उपरांत अखाद्य तेल की मात्रा, पैकेजिंग, वैधता अवधि आदि के संबंध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा।

ज) तेल **जहां है जैसा है** के आधार पर विक्रय किया गया है। सोयाबीन अखाद्य तेल के पाउच छांट कर प्रदाय नहीं किया जाएगा।

झ) किसी भी प्रकार के न्यायालयीन विवाद होने की दशा में न्यायालय का क्षेत्राधिकार, रायपुर (छ0ग0) स्थित न्यायालय रहेगा।

क्रेता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता सील सहित

कंपनी सचिव
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि.
मुख्यालय रायपुर

01. गवाह .... 01. गवाह ....
02. गवाह .... 02. गवाह ....

प्रतिलिपिः–

01. क्रेता मेसर्स ....।
02. जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड .... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कंपनी सचिव